भूमिका

भारत में लिंगभेद के सामाजिक प्रभाव के कारन महिला हमेशा से ही शोषण का शिकार रही है। पुरूष इस सत्य को हमेशा नकारता रहा है कि समाज कि उन्नति। निर्माण और विकास महिला और पुरूष समान रूप से सहभागी हैं। वैसे तो पूरे भारतीय समाज की स्त्रियां पुरूष प्रधानता के बोझ के नीचे कराह रही है। पर जहाँ तक आदिवासी महिलाओं का प्रश्न है वह दोहरे शोषण का शिकार है। आदिवासी महिलाओं को न केवल अपने समाज की पितृसत्ता को झेलना पडता है बल्कि सवर्ण समाज की पुरूष प्रधानता और जाति द्वेश भी उनका शोषण और दमन करती है। साथ-साथ उच्च वर्णीय महिलाओं द्वारा होने वाले जाति भेद का भी सामना करना पडता है।

आदिवासी महिलाएं आज भी गुलामी का जीवन जी रही है। आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट, बलात्कार उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाना आदि घटनाएं आम हो गई है। आदिवासी महिलाओं पर आज भी हर स्तर पर चाहै वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र उच्च पद पर आसीन हो या गृहिणी अत्याचार हो रहै है।

भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि ''मै किसी समाज की उन्नति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हूई है।'' मानव समाज की आधी आबादी है और आधी आबादी को अधिकार हीन बनाए रखने से किसी भी मानव समाज का विकास नही हो सकता।

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया तो उसे भी समस्त महिलाएं तथा आदिवासी महिलाएं जो देश की आधी आबादी है इनके लिए संविधान स्त्री पुरूष समानता का अधिकार दिया। संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति लिंग, वर्ण, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नही करें।'' सभी स्त्री–पुरूष समान है। संविधान द्वारा आरक्षण की वजह से ही आज महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला है। और इस वजह से जो कुछ भी आदिवासी महिलाएं नौकरी व्यवसाय, शिक्षा, राजनीति हर क्षेत्र दिख रही है।

महिलाओं की संख्या पुरूषों के समान है फिर भी राजनीतिक क्षेत्र महिलाओं कि भागीदारी बहूत सीमित है। राजनीतिक क्षेत्र आदिवासी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बाते सभी करते है लेकिन जब महिलाओं की राजनीतिक आरक्षण कि बात आती है तो इसका विरोध किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद से लगातार विधानसभा एवं लोकसभा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग हो रही है। लेकिन पुरूष प्रधान मानसिकता

के चलते कानून नहीं बन पा रहा है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए सिर्फ पंचायत स्तर तक की राजनीति 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है डॉ.अम्बेडकर ने कहा था कि ''राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे आज सभी समस्याओं का समाधान के लिए राजनीतिक सत्ता हात लगी होगी तभी वह दोहरे शोषण से मुक्ति पा सकती है।

पंचायत स्तर तक महिलाओं को 50 प्रतिशत कानूनन आरक्षण मिला है। पंचायत स्तर तक 50 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है और उन्हें सत्ता भागीदारी करने का मौका मिला है। लेकिन जातिवादी मानसिकता के चलते सिर्फ आरक्षित स्थानों तक ही आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सिमटी हूई है। पंचायत में उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकारों को समझना सिखा है। लेकिन विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं संसद तक निर्णय प्रक्रिया आदिवासी महिलाओं की भागीदारी अभी अधूरी है। और इनके क्या कारण हो सकते है ? इसका अध्ययन प्रस्तुत लघु-शोध प्रबंध किया है।

मेरे प्रस्तुत लघु शोध-प्रबंध का विषय ''आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी'' (विशेष संदर्भ: वर्धा और सेलू तहसील) (महाराष्ट्र) है। आदिवासी महिलायें सदियों से शोषित है वह तो पुरूष प्रधान संस्कृति तथा वर्णवादी व्यवस्था से गुलामी का जीवन बिता रही थी। उसे इस गुलामी से शोषण से मुक्ति डॉ.अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के तहत दी है इस को दर्शाया है।

प्रस्तुत शोध प्रंबंध पांच भागों में विभाजित है

शोध प्रविधि का परिचय

1) आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक स्थिति

2) आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता (विशेष संदर्भ : सेलू और वर्धा तहसिल)

3) राजनीतिक क्षेत्र में आनेवाली चुनौतियाँ एवं संघर्ष

4) आदिवासी महिलाओं द्वारा किए गए बेहतरीन राजनीतिक एवं सामाजिक प्रयास

इस शोध प्रबंध में शोध प्रविधि का परिचय में पहला शोध प्रबंध का संक्षिप्त में परिचय दिया गया है। इसमें अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन का महत्व साहित्य पुनरावलोकन, शोध के उद्देश, परिकल्पना एवं शोध प्रविधियों को दर्शाया हैं।

प्रथम अध्याय-इसमे में आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक स्थिति है इसमें आदिवासी क्षेत्र में पंचायती राज कानून/अधिनियम पंचायती राज प्रणाली और महिलाएँ आदिवासी महिलाओं का सामाजिक दर्जा और राजनीतिक और ग्रामपंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं आदिवासी महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसका विवेचन किया है।

द्वितीय अध्याय मे मैने पाच आदिवासी महिला ग्रामपंचायत सरपंच की केस स्टडी की हैं।

तृतीय अध्याय में राजनीतिक क्षेत्र में आनेवाली चुनौतिया एवं संघर्ष हैं। इसमें मैने शिक्षा की कमी आदिवासी महिलाओं की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक हाशियाकरण की स्थितियां और राजनीतिक एवं पारिवारीक भूमिकाओं में संघर्षइसको दर्शाया हैं।

चतुर्थ अध्याय आदिवासी महिलाओं द्वारा किए गये बेहतरीन राजनीतिक एवं सामाजिक प्रयास उसमें मैने आदिवासी महिलाओं द्वारा अमल कि गई योजनाएँ गांव की स्थितियों में बदलाव निधि, इसको दर्शाया हैं।

पंचम अध्याय में मैंने अध्ययन के उपरान्त निकले निष्कर्ष दिए हैं।